तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **जयसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 333/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-11-2022	अपीलार्थी जयसिंह निवासी राजपूरोहितों का मोहल्ला, ग्राम आसोप, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.08.2022 में (1) ग्राम आसोप के ख.नं. 2063 का कुल रकबाई क्षेत्रफल(राजस्व मापक बीधा एवं बिस्वा) व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1783 दिनांक 13.10.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्राथ्रना पत्र में वर्णित सूचना उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ कार्यालय से संबंधित होने के कारण प्रार्थी के आवेदन पत्र धारा 6(3) के तहत उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ को कार्यालय पत्रांक 1391 दिनांक 23.08.2022 द्वारा प्रेषित कर 7 दिवस में प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। चूंकि अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) को प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	